

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक -प.2(2)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 30.09.2020

-:अधिसूचना:-

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमा को पुनः नियत करने के संबंध में जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.06.2019 की क्रम संख्या 1 के सम्मुख अंतिम कॉलम संख्या 4 में अंकित "पीगांसन" के स्थान पर "पीसांगन" पढा जाये।

राज्यपाल के आदेश से

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, नागौर/ दौसा/ सीकर / भीलवाडा/ जयपुर ग्रामीण।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली ।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)

संयुक्त शासन सचिव